तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13-3-26	पत्रावली पेश हुई वादी के अधिवक्ता उप. आदेश सुनाया गया। वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि मूल प्रति के अनुसार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

23/दावा/2021
दायरा दिनांक 03.03.2021

पीठासीन अधिकारी
श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

बउनवान

1. रामलाल गुलाटी आ0 भंवरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी हाल निवासी मधुवन कॉलोनी खैरदा फाटक सवाई माधोपुर राज0।

—वादी

बनाम

1. उर्मिला पुत्री बजरंगा जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. कलावती पुत्री बजरंगा जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. कालू आ0 बजरंगा जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. झूमा पत्नि स्व0 गोप्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
5. धन्ना आ0 गोप्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
6. नुरका पत्नि बजरंगा जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
7. बदाम पत्नि नाथूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
8. राकेश आ0 नाथूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
9. रोशन पुत्री नाथूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
10. जशोदा पुत्री नाथूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
11. ओमप्रकाश आ0 पांच्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
12. राजेन्द्र आ0 कान्हा जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
13. प्रभुलाल आ0 गोप्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
14. बृजमोहन आ0 बजरंगा जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
15. बाबू आ0 बजरंगा जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
16. रामकुंवार आ0 नैनगा जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
17. रामरेश पुत्री बजरंगा जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

18. सुशीला पुत्री बजरंगा जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

19. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुमेरगजमण्डी जिला बून्दी राज0 जर्ये शाखा प्रबन्धक।

20. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

दिनांक 13.03.2026

—:निर्णयः—

वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ख0सं0 250 रकबा 1.36 हैक्ट0, ख0सं0 306 रकबा 1.13 है0, ख0सं0 138 रकबा 0.12 है0, ख0स0 343 रकबा 0.33 है0, ख0सं0 347 रकबा 0.11 है0, ख0सं0 67 रकबा 1.10 है0, ख0सं0 75 रकबा 1.20 हैक्ट0, ख0सं0 76 रकबा 0.08 हैक्ट0, ख0सं0 77 रकबा 0.40 हैक्ट0, ख0सं0 79 रकबा 0.01 हैक्ट0, ख0सं0 80 रकबा 3.50 हैक्ट0, ख0सं0 83 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 12 योग रकबा 9.43 हैक्टर वाके ग्राम चाणदाखुर्द पटवार हल्का चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मे स्थित है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदार केसर पत्नि पांच्या का स्वर्गवास हो चुका है एंव प्रतिवादी संख्या 11 ओमप्रकाश मृत केसर का एकमात्र वारिस है। इसी प्रकार सहखातेदार किशना की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है एंव उसकी पत्नी अन्यत्र नाता चली गई है। सहखातेदार नाथूलाल आ0 गोप्या की मृत्यु हो चुकी है एंव प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 मृतक नाथूलाल के वारिस है। सहखातेदार प्रेम पुत्री बजरंगा की भी मृत्यु हो चुकी है एंव प्रतिवादी संख्या 12 राजेन्द्र मृतका प्रेम का पुत्र है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि है एंव उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों द्वारा वादी का नाम प्रारंम्भ से ही रामा पुत्र भूरा अंकित कर दिया गया है। वादी का वास्तविक नाम रामलाल गुलाटी है एंव वादी के अन्य समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम रामलाल गुलाटी एंव वादी के पिता का नाम भंवरलाल ही अंकित है। वादी ने राजस्व अधिकारियो से कई बार उपरोक्त इन्द्राज को सही कर वादी व वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया परन्तु किसी ने भी वादी की कोई सहायता नही की एंव न्यायालय में वाद दायर करने को कहा। उपरोक्त इन्द्राज से वादी के अधिकार प्रभावित होते है एंव इससे भविष्य मे कई नये विवाद होने की संभावना है। उपरोक्त भिन्न नाम के इन्द्राज से वादी को बैंक आदि से ऋण लेने व अन्य किसी भी प्रकार के संव्यवहार में परेशानी उत्पन्न होती है। और अन्त मे निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम रामा आ0 भूरा के स्थान पर वादी का नाम रामलाल गुलाटी आ0 भंवरलाल जाति बैरवा दर्ज किया जावें। इसी अनुरुप राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 19 बावजूद तामील सम्मन अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 19 तहसीलदार इन्द्रगढ़ से जवाब तलब किया गया तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078,एंव पी0 डब्ल्यू 1 स्वंय का शपथ पत्र, पी0 डब्ल्यू 2 सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 5 धन्ना आ0 गोप्या एंव पी0डब्ल्यू 3 सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 16 रामकुंवार आ0 नैनगा के साक्ष्य शपथ पत्र एंव अन्य दस्तावेजो में ग्राम पंचायत चाणदाखुर्द का प्रमाण पत्र अधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, 10 वी की अंकतालिका, जनआधार कार्ड की छायाप्रतिया पेश की है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी का नाम रामा आ0 भूरा के स्थान पर रामलाल आ0 भंवरलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी रिपोर्ट एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया वादी के द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, इत्यादि में वादी का नाम रामलाल गुलाटी आ0 भंवरलाल दर्ज है वादी द्वारा प्रस्तुत 10 वी का प्रमाण पत्र में भी वादी का नाम रामलाल आ0 भवंरलाल होना पाया जाता है हल्का पटवारी चाणदाखुर्द द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे रामा आ0 भूरा जाति बैरवा एंव रामलाल आ0 भंवरलाल एक ही व्यक्ति होना बताया गया है इससे स्पष्ट होता है कि फौती इन्तकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादी का नाम रामलाल आ0 भंवरलाल के स्थान पर रामा आ0 भूरा संहवन से गलत दर्ज किया गया है अतः वादी का वाद पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में दर्ज ख0सं0 250 रकबा 1.36 हैक्ट0, ख0सं0 306 रकबा 1.13 है0, ख0सं0 138 रकबा 0.12 है0, ख0स0 343 रकबा 0.33 है0, ख0सं0 347 रकबा 0.11 है0, ख0सं0 67 रकबा 1. 10 है0, ख0सं0 75 रकबा 1.20 हैक्ट0, ख0सं0 76 रकबा 0.08 हैक्ट0, ख0सं0 77 रकबा 0.40 हैक्ट0, ख0सं0 79 रकबा 0.01 हैक्ट0, ख0सं0 80 रकबा 3.50 हैक्ट0, ख0सं0 83 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 12 योग रकबा 9.43 हैक्टर वाके ग्राम चाणदाखुर्द पटवार हल्का चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मे स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से रामा आ0 भूरा जाति बैरवा का नाम विलोपित किया जाता है। तथा उसके स्थान पर रामलाल आ0 भंवरलाल जाति बैरवा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी............ मुकाम............लाखेरी व इजलास........श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी (आर0ए0एस)..
....

1. रामलाल गुलाटी आ0 भंवरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी हाल निवासी मधुवन कॉलोनी खैरदा फाटक सवाई माधोपुर राज0।

—वादी

1. उर्मिला पुत्री बजरंगा जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

क्रमशः पुस्तपर

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर ....23/दावा/2021......................... सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे.................. व हाजिरी .... श्री धीरज जैन एडवोकेट,....... मिनजानिब मुद्दई रूबरू......................... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती कि—

वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में दर्ज ख0सं0 250 रकबा 1.36 हैक्ट0, ख0सं0 306 रकबा 1.13 है0, ख0सं0 138 रकबा 0.12 है0, ख0स0 343 रकबा 0.33 है0, ख0सं0 347 रकबा 0.11 है0, ख0सं0 67 रकबा 1.10 है0, ख0सं0 75 रकबा 1.20 हैक्ट0, ख0सं0 76 रकबा 0.08 हैक्ट0, ख0सं0 77 रकबा 0.40 हैक्ट0, ख0सं0 79 रकबा 0.01 हैक्ट0, ख0सं0 80 रकबा 3.50 हैक्ट0, ख0सं0 83 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 12 योग रकबा 9.43 हैक्टर वाके ग्राम चाणदाखुर्द पटवार हल्का चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मे स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से रामा आ0 भूरा जाति बैरवा का नाम विलोपित किया जाता है। तथा उसके स्थान पर रामलाल आ0 भंवरलाल जाति बैरवा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। निज..मुबलिग.................. ....बाबत...खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **13 माह 03 सन् 2026** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner